

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-52/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० संजय कुमार, तत्कालीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, प्लास्टिक सर्जरी, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गयाजी द्वारा दिनांक-20.05.2023, 03.06.2023, 17.06.2023 एवं दिनांक-12.10.2023 से 22.11.2023 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1363(25) दिनांक-04.07.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-20.05.2023	-	कुल-01 (एक) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-03.06.2023	-	कुल-01 (एक) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
iii.	दिनांक-17.06.2023	-	कुल-01 (एक) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
iv.	दिनांक-12.10.2023 से 22.11.2023 तक	-	कुल-42 (ब्यालीस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-52/2025- 496(2) पटना, दिनांक 6/3/2026
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गयाजी/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद/अधीक्षक, सदर अस्पताल, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/ डा० संजय कुमार, तत्कालीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, प्लास्टिक सर्जरी, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गयाजी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wahid K Singh
सरकार के उप सचिव।